

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

डॉ. सूरज सिंह नेगी

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

89/2022/प्रा.पत्र/2022

11.11.2022

तारीख निर्णय

19.10.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

बनाम

.....प्रार्थी

1-श्री रामबाबू टोडवाल पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप टोडवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री राम एजेन्सीज गांधी पार्क के पास जयपुर रोड निवाई जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 17 डाक बंगला के पीछे निवाई जिला टोंक राज.

2-श्री सुरेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री राम सिंह राजावत प्रोपरायटर मैसर्स राजपूताना इण्डस्ट्रीज एच-638 ए, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया सांगानेर टोंक रोड जयपुर राज. निवासी प्लॉट नं. 3 वन विहार कॉलोनी टोंक रोड दुर्गापुरा जयपुर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।


2-अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह राजावत।

:-निर्णय:-

दिनांक 19.10.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.07.2022 को समय 02:04 पीएम पर मैसर्स श्री राम एजेन्सीज गांधी पार्क के पास जयपुर रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री रामबाबू टोडवाल पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप टोडवाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रामबाबू टोडवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ सूजी श्री राम भोग ब्राण्ड (Sujij (Semolina) Shree Ram Bhog Brand) के 500-500 ग्राम के 11 नग पॉली पैक रखे हुए थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री रामबाबू टोडवाल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री रामबाबू टोडवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को सूचित कि यह सूजी श्री राम भोग ब्राण्ड जिसके बैच नम्बर आर 86 एवं पैकिंग की



दिनांक 09.07.2022 थी, वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, 500-500 ग्राम के 4 नग पॉली खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सूजी श्री राम भोग ब्राण्ड (Sujji (Semolina) Shree Ram Bhog Brand) 500-500 ग्राम के 4 नग पॉली पैक के एक-एक पैक वाले नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3230, दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करारकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3230 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री रामबाबू टोडवाल पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप टोडवाल ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स राजपूताना इण्डस्ट्रीज एच-638 ए, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया सांगानेर टॉक रोड जयपुर का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्य करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/2143 दिनांक 16.08.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2443/एक्ट/2022/2472 दिनांक 29.07.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया सूजी श्री राम भोग ब्राण्ड (Sujji (Semolina) Shree Ram Bhog Brand) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के श्री सुरेन्द्र सिंह राजावत (अप्रार्थी सं. 2) उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। मात्र इसके लेबल पर Use by/Expiry अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ प्रकरण का निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया




कि अप्रार्थीगण जिस सूजी श्री राम भोग ब्राण्ड का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेशकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सूजी श्री राम भोग ब्राण्ड (Sujij (Semolina) Shree Ram Bhog Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 19.10.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



  
(अतिरिक्त जिला न्यायाधीश)  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टांक-राज0